

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी,  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-८

लखनऊ : दिनांक: ०३.०५, 2018

विषय : अनाधिकृत कालोनियों पर अंकुश/रोकथाम के सम्बंध में।


महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त की अवहेलना करते हुये अधिकांश विकास क्षेत्र में ले-आउट प्लान खीकृत कराये बिना कालोनियों निर्मित कर ली गयी हैं, जिनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित स्तर के नहीं हैं।

2— अनाधिकृत कालोनियों की बढ़ती संख्या के कारण वहां पर निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अनाधिकृत कालोनियों पर नियंत्रण के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:—

- (i) दिनांक 01.05.2016 तक निर्मित अनाधिकृत कालोनियों को रिमोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार करा लिया जाय। गूगल मैप की सक्षम प्राधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित प्रति सील कर सुरक्षित रखी जाय तथा एक-एक प्रमाणित प्रति अध्यक्ष/मण्डलायुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उपरोक्त को उपलब्ध करायी जाय।
- (ii) भविष्य में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्र को जोन्स में विभाजित किया जाय।


- (iii) विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ने/ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे ताकि यह स्पष्ट रहे कि उक्त अधिकारी की तैनाती अवधि के दौरान कितना अवैध निर्माण हुआ है।
- (iv) अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अनाधिकृत निर्माण/विकास के नियंत्रण से सम्बंधित टिप्पणी अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।  
कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

  
 भारदीय,  
 निश्चिन रामेश गोकर्ण  
 प्रमुख सचिव।

संख्या: 104 (1) / आठ-८-१८-१९४काम्प/२००१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 2—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- 4—निदेशक, आवास बन्धु को वेबसाईट के उपयोगार्थ।
- 5—गार्ड फाईल।

  
 आज्ञा से,  
 (मनोज कुमार मौर्य)  
 अनु सचिव।